

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी- ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 25/2025

निर्णय दिनांक : 30.04.2025

GCMS NO : 2025/70

नेमी चन्द पुत्र नोला राम जाति जाट निवासी ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम


राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

उपस्थित :-

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

1. प्रार्थी अधिवक्ता मोहनलाल विरसु उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेशेकार राज उपस्थित।



---निर्णय:---

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, कर्षण, उपयोग-उपभोग के खेत खाता संख्या 484 के खसरा संख्या 1019/380 तादादी 3.1233 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1022/407 तादादी 1.9852 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1085/543 तादादी 1.7703 हैक्टेयर, कुल कित्ता 3 कुल तादादी 6.8788 हैक्टेयर वाके रोही मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिसे प्रार्थना-पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र नोलाराम दर्ज है, जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम नेमी चन्द पुत्र नोला राम है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम मुन्दड़ा में प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र नोलाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम नेमीचन्द पुत्र नोलाराम है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र नोलाराम किया जाना उचित है।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम नेमीचन्द पुत्र नोलाराम ही है। अतः मुतादिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 484 के खसरा संख्या 1019/380 तादादी 3.1233 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1022/407 तादादी 1.9852 हैक्टेयर, खसरा संख्या

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

1705/543 तादादी 1.7703 हैक्टैयर, कुल किता 3 कुल तादादी 6.8788 हैक्टैयर बाके रोही मुन्दडा तहरील
सुजानगढ जिला चूरु में दर्ज नेमाराम पुत्र नोलाराम जाति जाट निवासी मुन्दडा खातेदार के स्थान पर
नेमीचन्द्र पुत्र नोलाराम जाति जाट निवासी मुन्दडा खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी
प्रतिष्ठी यथावत रहे। अप्रार्थी तहरीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।
निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सर इजलारा सुनाया जाकर मुदाकित एवं हरताक्षरित किया
गया।


ओम्प्रकाश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ (चूरु)

